छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (**CG-CBG Policy**), 2026

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण
ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि : 10 जुलाई 2026
स्थान : रायपुर

विषय सूची

क्र.सं	अनुभाग	पृष्ठ
1.	**प्रस्तावना** (Preamble)	1
2.	**दृष्टि** (Vision)	2
3.	**उद्देश्य (**Objectives**)**	3
4.	**नीति की प्रयोज्यता** (Applicability of the Policy)	4
5.	**समय–सीमा** (Timeline)	4
6.	**प्रोत्साहन एवं विनियामक सुधार** (Incentive and Regulatory Reforms)	
	स्तंभ I : सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना हेतु आधारभूत अधोसंरचना सहायता	
	6.1 भूमि लीज समर्थन	5
	6.2 उपयोगिताओं (Utilities) का प्रावधान एवं स्थानांतरण	6
	स्तंभ II : फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला	
	6.3 एकीकृत फीडस्टॉक योजना रूपरेखा	7
	6.4 कृषि अवशेष आधारित फीडस्टॉक सहायता	8
	6.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट फीडस्टॉक सहायता	9
	6.6 प्रेसमड एवं अन्य शर्करा मिल उप–उत्पाद आधारित फीडस्टॉक सहायता	10
	6.7 पशुपालन आधारित फीडस्टॉक सहायता	10
	स्तंभ III : संयंत्र स्थापना एवं संचालन सहायता	
	6.8 पूंजी निवेश में सहायता	11
	6.9 विद्युत शुल्क सहायता	11
	6.10 श्रम एवं मानव संसाधन सहायता	11
	स्तंभ IV : जैव–उर्वरक (FOM/LFOM**) प्रबंधन एवं सहायक अधोसंरचना विकास**	
	6.11 जैव–उर्वरक (FOM/LFOM) का प्रबंधन एवं उपयोग	12
	6.12 अधोसंरचना विकास में सहयोग	13
	स्तंभ V : CBG **मांग सृजन एवं परिवहन क्षेत्र एकीकरण** (Integration)	
	6.13 संस्थागत क्रय	14
	6.14 CNG वाहन इकोसिस्टम हेतु नियामकीय सुविधा	14
	स्तंभ VI : निवेश को प्रोत्साहन एवं विकास (Ecosystem Enablers)	
	6.15 कर एवं ब्याज सहायता	15
	6.16 अनुसंधान, विकास एवं नवाचार सहायता	15
	6.17 संस्थागत क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास	16
	6.18 सिंगल विंडो प्रणाली (Single Window Mechanism)	17
7.	**शासकीय व्यवस्था** (Governance Mechanism)	
	7.1 राज्य नोडल एजेंसी	18
	7.2 जिला स्तरीय समिति (DLC)	19
	7.3 निगरानी एवं शिकायत निवारण	19
8.	**स्थापित किए जाने वाले** CBG **संयंत्रों के पंजीयन की प्रक्रिया**	
	8.1 पंजीयन की प्रयोज्यता	20
	8.2 जिला–आधारित क्षमता विनियमन एवं कैचमेंट क्षेत्र संबद्धता	20
	8.3 स्थल चयन, फीडस्टॉक कैचमेंट क्षेत्र एवं विशिष्टता	20
	8.4 केंद्रीय एवं राज्यीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन	21
9.	**विविध प्रावधान**	21

1. प्रस्तावना (Preamble)

1.1 भारत की स्वच्छ, न्यूनतम–कार्बन एवं सतत ऊर्जा प्रणाली की दिशा में ऐसे वैकल्पिक ईंधनों के तीव्र विकास की आवश्यकता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करें, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करें तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बढ़ावा दें। इस परिप्रेक्ष्य में, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) स्वच्छ ऊर्जा एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय रणनीति के एक प्रमुख घटक के रूप में उभरकर सामने आया है।

1.2 कृषि अवशेषों, पशुधन अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट तथा कृषि–औद्योगिक सह–उत्पादों से उत्पादित कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG), स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास को परिवहन, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों हेतु उपयुक्त स्वच्छ गैसीय ईंधन में परिवर्तित करने का एक व्यवहार्य माध्यम प्रदान करता है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैव–उर्वरक जैसे मूल्य संवर्धित सह–उत्पादों के उत्पादन में भी योगदान देता है।

1.3 भारत सरकार द्वारा कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) के बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु किफायती परिवहन की दिशा में सतत् वैकल्पिक व्यवस्था (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation - SATAT) सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। इसी संदर्भ में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय SATAT समिति का गठन किया गया है।

1.4 छत्तीसगढ़ राज्य, अपनी कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था एवं प्रचुर जैव–संसाधनों के कारण, CBG के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की विशिष्ट क्षमता रखता है। राज्य में विशेष रूप से धान उत्पादन, पशुधन अपशिष्ट तथा कृषि–औद्योगिक गतिविधियों से पर्याप्त मात्रा में बायोमास उपलब्ध होता है।

1.5 राज्य में विकसित हो रहे गैस अधोसंरचना का लाभ प्राप्त है, जिसमें विभिन्न सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क सम्मिलित हैं, जो CBG के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

1.6 यह नीति छत्तीसगढ़ में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं हेतु एक स्पष्ट, पारदर्शी एवं सक्षमकारी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह फीडस्टॉक आपूर्ति, अधोसंरचना विकास, विनियामक सुविधा, बाजार एकीकरण तथा संस्थागत समन्वय सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करती है।

1.7 इस नीति का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देना, विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को समर्थन प्रदान करना, जैविक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को बेहतर बनाना तथा राज्य में सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है।

1.8 राष्ट्रीय प्रयासों के अधीन रहते हुए, यह नीति बाजार–आधारित प्रणाली एवं लक्षित संस्थागत समर्थन के संतुलित दृष्टिकोण को अपनाती है, जिससे छत्तीसगढ़ में CBG अधोसंरचना के दीर्घकालिक विस्तार एवं स्थायित्व तथा निवेशकों के विश्वास को सुनिश्चित किया जा सके।

1.9 घरेलू फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) जैसे जैव–ईंधनों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी–केंद्रित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। यह नीति CBG क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा।

*संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, आदेश क्रमांक 1961/एफ–26/06/SATAT/2021/13/2 दिनांक 07.09.2021

2. दृष्टि (Vision)

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य, अपनी राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA) के माध्यम से, एक क्षेत्रीय रूप से संतुलित, संसाधन–उत्तरदायी एवं विस्तार योग्य कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम की स्थापना का दृष्टिकोण रखता है, जो जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा निर्माण तथा दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है।

2.2 राज्य में उपलब्ध विविध जैव–संसाधनों जैसे कृषि अवशेष, पशुधन अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट, कृषि–औद्योगिक सह–उत्पादों का लाभ उठाते हुए तथा समर्पित ऊर्जा फसलों के आधार पर CBG को "अपशिष्ट से संपदा" (Waste-to-Wealth) रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

2.3 छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अधिशेष बायोमास की महत्वपूर्ण उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए CBG उत्पादन हेतु इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने का उद्देश्य रखता है।

2.4 राज्य में विकसित हो रहे गैस अधोसंरचना के माध्यम से CBG उत्पादन को सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क जोकि विस्तारित हो रहे CNG अधोसंरचना सिस्टम में सम्मिलित हैं, के साथ एकीकृत करने का भी प्रयास करेगा, ताकि जीवाश्म–आधारित ईंधनों के विकल्प के रूप में CBG के कुशल निष्कासन (Evacuation), वितरण एवं उपयोग को सुगम बनाया जा सके।

2.5 राज्य के विविध क्षेत्रों में बायोमास की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा एवं मांग अनुसार CBG परियोजनाओं के विकास हेतु विकेन्द्रीकृत एवं क्षेत्रवार आंचलिक विकास दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निम्नानुसार हैः

2.5.1 स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फीडस्टॉक के उपयोग का अनुकूलन करना।

2.5.2 CBG संयंत्रों की परिचालन विश्वसनीयता एवं दक्षता में वृद्धि करना।

2.5.3 जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों सहित समतामूलक क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना।

2.5.4 परिवहन लागत एवं आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करना।

2.6 यह दृष्टिकोण CBG के भविष्य के लक्ष्यों एवं अंतिम–उपयोग क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः

2.6.1 परिवहन क्षेत्र में CNG को वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग।

2.6.2 औद्योगिक ईंधन में अनुप्रयोग।

2.6.3 सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क में सम्मिश्रण।

2.6.4 जैविक उर्वरक का उत्पादन एवं सतत् कृषि विकास में उपयोग।

2.7 इस एकीकृत संसाधन आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से, राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं के संरचित, सतत एवं बड़े पैमाने पर विकास कर देश में एक अग्रणी मॉडल के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है।

3. उद्देश्य (Objectives)

3.1 इस नीति का समग्र उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों की बड़े पैमाने पर स्थापना करना है, जिसके लिए फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला, परियोजना विकास, संयंत्र संचालन, सहायक अधोसंरचना तथा समग्र प्रणाली से संबंधित संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।

3.2 यह नीति परियोजना विकास, निवेश एवं दीर्घकालिक संचालन के लिये आवश्यक एवं सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करते हुये कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) को छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) ढाँचे एवं अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति के अभिन्न घटक के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रखती है।

3.3 उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, यह नीति निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है:

3.3.1 जिला–स्तरीय बायोमास उपलब्धता के अनुरूप संरचित संग्रहण, भंडारण एवं परिवहन प्रणाली के माध्यम से विश्वसनीय, अनुमानित एवं किफायती फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम बनाना।

3.3.2 विनियामक सुविधा एवं समन्वित संस्थागत समर्थन से एक ऐसा व्यवस्था का निर्माण करना जोकि परियोजनाओं की व्यवहार्यता एवं ऋण योग्यता (Bankability) को सुदृढ़ करेगा।

3.3.3 भूमि, विद्युत, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों सहित अधोसंरचना एवं कारगर उपायों के माध्यम से सुव्यवस्थित करते हुये व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देना।

3.3.4 परियोजना विकास एवं संचालन के सभी चरणों में नीतिगत स्पष्टता, विनियामक स्थिरता एवं समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

3.4 एकीकृत रूप से, इन उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की CBG प्रयासों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना, आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करना, ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं को सशक्त बनाना, बड़े पैमाने पर जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना तथा भारत के जलवायु शमन (climate mitigation) एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।

4. नीति की प्रयोज्यता (Applicability of the Policy)

यह नीति समग्र छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सभी कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित गतिविधियों पर, यहाँ निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन, लागू होगी:

4.1 यह नीति, नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित सभी नवीन CBG परियोजनाओं पर लागू होगी, जोकि कंडिका क्र. 8.1 के अनुसार पंजीकृत है।

4.2 किसी भी प्रकार के जैविक फीडस्टॉक का उपयोग करने वाले CBG संयंत्र इस नीति के अंतर्गत पात्र होंगे। पात्र फीडस्टॉक में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

i. कृषि एवं फसल अवशेष
ii. पशु गोबर एवं पशुधन अपशिष्ट।
iii. नगरीय ठोस अपशिष्ट, जिसमें पृथक किए गए जैविक अंश, सीवेज स्लज/अपशिष्ट सम्मिलित हैं।
iv. प्रेसमड, गन्ना अपशिष्ट आदि जैसे कृषि–औद्योगिक अवशेष।
v. नेपियर आदि जैसी ऊर्जा फसलें।

4.3 इस नीति के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाएँ भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी लागू विधियों, नियमों एवं मानकों का अनुपालन करेंगी, जिनमें पर्यावरण, सुरक्षा, भूमि उपयोग, गुणवत्ता विनिर्देश एवं वैधानिक अनुमोदनों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।

4.4 राज्य में स्थापित ऐसे समस्त उद्यमों जो इस नीति की प्रभावी होने की तिथि से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो को इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन अथवा लाभ हेतु पात्र होंगे, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ राज्य शासन द्वारा विशेष बदलाव अथवा स्थानांतरण संबंधी प्रावधान पृथक रूप से अधिसूचित किया गया।

5. समय–सीमा (Timeline)

5.1 यह नीति राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 31.03.2030* तक प्रभावशील रहेगी।

*संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कंडिका (2)

6. प्रोत्साहन एवं विनियामक सुधार (Incentive and Regulatory Reforms)

स्तंभ I : CBG परियोजनाओं की स्थापना हेतु आधारभूत अधोसंरचना सहायता

उद्देश्य : CBG परियोजनाओं के विकास में होने वाले विलंब तथा प्रारंभिक प्रवेश बाधाओं को रोकने हेतु, सिंगल विंडो प्रणाली एवं डीम्ड अप्रूवल व्यवस्था के माध्यम से भूमि एवं अन्य उपयोगिताओं (Utilities) का समयबद्ध उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

6.1 भूमि लीज सहायता

6.1.1 राज्य में CBG परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए शासकीय भूमि आबंटन से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेशों एवं/अथवा परिपत्रों में निहित नियमों एवं प्रावधानों तथा राज्य औद्योगिक विकास नीति 2024–30* अथवा छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग** द्वारा रियायती लीज आधार पर CBG संयंत्र स्थापना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

6.1.2 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं बड़े उद्योगों द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/विविधीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क (डायवर्जन शुल्क) में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

6.1.3 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) क्षेत्र में बड़े उद्योगों द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/विविधीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के मामलों में, भूमि पर देय पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जावेगी।*

संदर्भः *छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के कंडिका 9,6,9,7,9,17,9,20
*छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के सी–3, कंडिका (4) एवं (5)
**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,आदेश क्रमांक एफ–5.7/2025/18 दिनांक 07.05.2025

6.2 उपयोगिताओं (Utilities) की उपलब्धता एवं स्थानांतरण

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उपयोगिताओं की उपलब्धता एवं स्थानांतरण के लिए निम्नानुसार संरचित एवं समयबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत व्यापक सहयोग प्रदान किया जावेगाः

6.2.1 CBG परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक सभी उपयोगिता संबंधी अनुमतियाँ एवं सुविधाएं, जिनमें विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति तथा विद्यमान सार्वजनिक अधोसंरचना (जैसे विद्युत पोल, भूमिगत केबल, जल एवं सीवरेज लाइन, CGD पाइपलाइन आदि) का स्थानांतरण अथवा पुनः स्थापना सम्मिलित है, नामित राज्य नोडल एजेंसी (CBDA) द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से समन्वय किया जावेगा।

6.2.2 CBG परियोजनाओं हेतु आवश्यक उपयोगिताओं की उपलब्धता, स्थानांतरण अथवा पुनः स्थापना से संबंधित समस्त व्यय, जिसमें विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क संपर्क तथा CGD पाइपलाइन सहित विद्यमान सार्वजनिक अधोसंरचना का स्थानांतरण सम्मिलित है, संबंधित परियोजना प्रवर्तक/प्रवर्तकों द्वारा वहन किया जावेगा।

6.2.3 ऐसे मामलों में, जहां उक्त अधोसंरचना का उपयोग एकाधिक CBG परियोजनाओं एवं/अथवा अन्य संस्थाओं, जिनमें शासकीय एजेंसियां अथवा स्थानीय निकाय सम्मिलित हैं, द्वारा साझा अथवा उपयोग किया जाता है, वहां संबंधित व्यय का विभाजन, वसूली अथवा पूर्णसमायोजन उपयोग की सीमा अथवा क्षमता आबंटन के अनुपात में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, प्रो–राटा आधार पर किया जावेगा।

6.2.4 CBG परियोजनाओं हेतु आवश्यक उपयोगिताओं की उपलब्धता, स्थानांतरण अथवा पुनः स्थापन से संबंधित स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियॉ जारी करने वाले विभाग द्वारा संपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि से संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटारा किया जावेगा। उक्त अवधि के भीतर विभाग द्वारा या तो स्वीकृति प्रदान की जावेगी अथवा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन अथवा कमियों के संबंध में लिखित सूचना प्रदान की जावेगी। यदि संपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि से निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना, स्वीकृति अथवा आपत्ति जारी नहीं की जाती है, तो लागू सुरक्षा, तकनीकी एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की शर्त पर उक्त प्रस्ताव को संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित माना जावेगा। उपरोक्त समय–सीमाओं को राज्य सिंगल विंडो पोर्टल (SWP) प्रणाली में समाहित कर निगरानी की जावेगी।

स्तंभ II : फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला

उद्देश्य : कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों हेतु कृषि अवशेष, नगरीय अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट तथा शर्करा उद्योग सह–उत्पादों की निश्चित रूप से वर्ष भर लागत–प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित, कैचमेंट–आधारित फीडस्टॉक इकोसिस्टम का संस्थागत विकास।

6.3 एकीकृत फीडस्टॉक योजना रूपरेखा

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं हेतु फीडस्टॉक की निरंतर, निश्चित रूप से किफायती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एक संरचित, विकेन्द्रीकृत एवं संस्थागत रूप से समर्थित फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला ढांचा स्थापित किया जावेगाः

6.3.1 प्रत्येक CBG परियोजना हेतु एक स्पष्ट रूप से परिभाषित फीडस्टॉक कैचमेंट क्षेत्र निर्धारित किया जावेगा, **जिसमें प्रत्येक जिला कैचमेंट क्षेत्र*** के रूप में परिभाषित होगा तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं आपूर्ति के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। संयंत्र की क्षमता, फीडस्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित जिले के जिला कलेक्टर/जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कैचमेंट क्षेत्र का विस्तार समीप में स्थित एक अथवा अधिक तहसीलों तक विस्तार किया जावेगा।

6.3.2 कृषि बायोमास, पैडीस्ट्रॉ (धान का भूसा) एवं अन्य बायोमास की उपलब्धता को सुगम बनाने तथा CBG उद्यमियों को किफायती दर पर बायोमास की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर (कैचमेंट क्षेत्र) पर एक जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC) का गठन किया जावेगा। उक्त जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC) में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	आयुक्त, नगर पालिक निगम/परिषद्	सदस्य
4.	उप संचालक, कृषि	सदस्य
5.	जिला कृषि विस्तार अधिकारी	सदस्य
6.	जिला उद्योग अधिकारी	सदस्य
7.	तकनीकी/सहायक परियोजना अधिकारी, CBDA	सदस्य सचिव
8.	सहायक अभियंता/जिला प्रभारी, CREDA	सदस्य
9.	किसान उत्पादक संगठन (FPO)/एग्रीगेटर (संबंधित जिला)	सदस्य
10.	बायो–ऊर्जा उद्यमी (संबंधित जिला)	सदस्य

6.3.3 उक्त जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC) द्वारा निम्नलिखित कार्यों का भी पर्यवेक्षण किया जावेगाः

i. प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन पश्चात् जिलेवार कृषि अवशेष, गोबर तथा अन्य बायोमास की उपलब्धता का आंकलन के आधार पर CBG परियोजनाओं हेतु भूमि का आबंटन करना।

* संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 1336/एफ–12/05/2024/13/2 दिनांक 24.04.2026

ii. जिले में स्थापित CBG परियोजनाओं का संपूर्ण पर्यवेक्षण, समन्वय साधन एवं देखरेख करना।

iii. कृषकों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), एग्रीगेटरों तथा परियोजना निवेशकों/उद्यमियों सहित विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

iv. CBG परियोजनाओं हेतु बायोमास संसाधनों की न्यायसंगत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय बायोमास आवंटन योजना, संग्रहण सहायता तथा FPOs सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों एवं एग्रीगेटरों के माध्यम से समन्वित आपूर्ति व्यवस्था को सुगम बनाया जायेगा।।

v. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिलेवार बायोमास एवं जैविक अपशिष्ट उपलब्धता के आंकलन का समय–समय पर पुनरीक्षण एवं अद्यतन कम से कम प्रत्येक दो (2) वर्ष में एक बार किया जायेगा, ताकि सटीक फीडस्टॉक योजना एवं सतत आबंटन सुनिश्चित किया जा सके। आंकलित आंकड़ों की सूचना समय–समय पर CBDA को प्रेषित की जाएगी, जिससे क्षमता का विनियमन कंडिका क्र. 8.2 के अनुसार किया जावेगा।

6.3.4 जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC) द्वारा निवेशकों/उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सहकारी समितियों, पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) अथवा एग्रीगेटरों जैसे विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित कर कैचमेंट क्षेत्रों में फीडस्टॉक संग्रहण एवं भंडारण केंद्रों की स्थापना की व्यवस्था किया जावेगा, जिससे प्रभावी वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष भर फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

6.3.5 जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC) अपना कार्य कंडिका क्र. 7.2 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संपादित करेगी।

6.4 कृषि अवशेष आधारित फीडस्टॉक सहायता

CBG परियोजनाओं हेतु कृषि अवशेष आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा खुले में अवशेष जलाने एवं अनुपयोगी फसल अवशेष जैसी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उपाय किया जावेगा :–

6.4.1 **राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (BAM) सहायता योजना*** के अंतर्गत बेलर, रेकर, ट्रॉली, श्रेडर, लोडर तथा परिवहन उपकरण सहित बायोमास संग्रहण एवं हैंडलिंग मशीनरी की खरीद एवं उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा।

6.4.2 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, छ.ग. शासन द्वारा नामित कैचमेंट क्षेत्र में बायोमास संग्रहण हेतु कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन किया जावेगा। विभाग द्वारा ऐसे FPO एवं कृषकों को कृषि अपशिष्ट संग्रहण, हैंडलिंग, भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग द्वारा इन FPOs एवं CBG उत्पादकों के मध्य दीर्घकालीन फीडस्टॉक आपूर्ति अनुबंधों के निष्पादन में सहायता किया जावेगा।

संदर्भः *भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक L-16020/02/2023-GP-I(E-45833) दिनांक 08.07.2025, "बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी की खरीद हेतु कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना दिशा–निर्देश"

6.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित फीडस्टॉक सहायता

शहरी स्वच्छता को सुदृढ़ करने, पृथक किये गये जैविक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने तथा लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने हेतु, राज्य शासन द्वारा एक संरचित शहरी अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत जैव–विघटनीय अपशिष्ट धाराओं को CBG परियोजनाओं से एकीकृत किया जायेगा। इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित प्रावधान लागू किया जावेगा :–

6.5.1 राज्य नोडल एजेंसी CBDA द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, CBG परियोजनाओं को उनके कैचमेंट क्षेत्र के भीतर अथवा पृथक किये गये जैविक नगरीय ठोस अपशिष्ट की दीर्घकालीन आपूर्ति की व्यवस्था किया जावेगा।

6.5.2 CBDA द्वारा संबंधित नगरीय निकाय/नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, राज्य में पात्र CBG परियोजना निवेशकों/उद्यमियों के साथ नियमित फीडस्टॉक आपूर्ति हेतु अधिकतम पच्चीस (25) वर्षों की अवधि के लिये एक दीर्घकालीन रियायत अनुबंध (Concession Agreements) का निष्पादन को प्रोत्साहित किया जावेगा। यह अनुबंध विधियों, नियमों एवं अनुबंध संबंधी प्रावधानों के अधीन रहते हुये नीति अवधि के बाद भी मान्य होगा।

6.5.3 कृषि मंडियों द्वारा कृषि उपज मंडियों (कृषि मंडियों) में उत्पन्न कृषि अपशिष्ट एवं अवशेष के संग्रहण तथा उनके व्यवस्थित रूप से कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों तक आपूर्ति हेतु CBG उत्पादकों के साथ दीर्घकालीन फीडस्टॉक आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा। ऐसे अपशिष्ट एवं अवशेषों को राज्य मंडी/प्रत्यक्ष उत्पादक कृषक/इकाई से क्रय करने पर मंडी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी।*

*छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के सी–3, कंडिका (11)

6.6 प्रेसमड एवं अन्य शक्कर मिल सह–उत्पाद आधारित फीडस्टॉक सहायता

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं हेतु प्रेसमड एवं अन्य शक्कर मिल सह–उत्पादों की युक्तिसंगत बाजार मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया जावेगाः–

6.6.1 जिन कैचमेंट क्षेत्रों में CBG संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिसमें प्रेसमड अथवा अन्य शक्कर मिल सह–उत्पादों को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वहां ऐसे फीडस्टॉक का CBG संयंत्रों में उपयोग हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

6.6.2 प्रेसमड की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु शक्कर मिलों/शक्कर सहकारी समितियों एवं CBG परियोजना निवेशकों/उद्यमियों के मध्य दीर्घकालीन फीडस्टॉक आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। ऐसे अनुबंधों में CBG संयंत्रों से उत्पन्न जैव–खाद (Fermented organic Manure) की आपूर्ति (reverse supply) शक्कर मिलों/शक्कर सहकारी समितियों अथवा नामित एजेंसियों को किये जाने का प्रावधान भी सम्मिलित होगा। प्रेसमड के क्रय मूल्य तथा जैव–खाद की आपूर्ति दर का निर्धारण शक्कर मिल एवं CBG परियोजना निवेशक/उद्यमी के मध्य पारस्परिक सहमति से किया जायेगा।

6.7 पशुपालन आधारित फीडस्टॉक सहायता

चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने तथा पशुधन अपशिष्ट को स्वच्छ ऊर्जा एवं जैव–उर्वरक में परिवर्तित करने हेतु, राज्य द्वारा पशुपालन अपशिष्ट धाराओं को एक संरचित "अपशिष्ट से संपदा" (Waste-to-Wealth) ढांचे में एकीकृत किया जायेगा, जिससे संसाधन की पुनः प्राप्ति (resource recovery), ग्रामीण स्वच्छता एवं सतत जैव–संसाधन उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान लागू किया जावेगाः–

6.7.1 पशुधन विभाग द्वारा गौशालाओं, पशु शेड (Cattle Shed) , डेयरियों एवं CBG परियोजना निवेशको/उद्यमियों के मध्य गोबर एवं पशुधन अपशिष्ट की आपूर्ति हेतु दीर्घकालीन फीडस्टॉक आपूर्ति व्यवस्थाओं को सुगम बनाया जावेगा। ऐसी व्यवस्थाओं में पूर्व–निर्धारित शुल्क आधारित आपूर्ति अनुबंध सम्मिलित होंगे, ताकि फीडस्टॉक आपूर्ति के पूर्वानुमान अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) एवं पशु अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार होगा। विभाग द्वारा विकेन्द्रीकृत फीडस्टॉक लॉजिस्टिक्स को समर्थन प्रदान करने हेतु सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) अथवा पंजीकृत एग्रीगेटरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर गोबर संग्रहण को प्रोत्साहित किया जावेगा।

स्तंभ III : संयंत्र स्थापना एवं संचालन सहायता

उद्देश्य : राज्य में CBG संयंत्रों की ऋण योग्यता (Bankability) एवं प्रारंभिक संचालन में स्थिरता प्रदान करने के उदेश्य से पूंजी निवेश सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान, छूट एवं रियायते प्रदान करना, जिनमें विद्युत लागत का युक्तिकरण तथा संरचित मानव संसाधन सहायता सम्मिलित हैं।

6.8 पूंजी निवेश में सहायता

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं की उच्च प्रारंभिक पूंजी निवेश को कम करने तथा उनकी ऋण योग्यता (Bankability) में सुधार हेतु, राज्य शासन द्वारा CBG संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश में सहायता प्रदान की जावेगी। ऐसी सहायता निवेश–आधारित होगी तथा निर्धारित शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के पूरक के रूप में अभिकल्पित की जावेगी।

6.8.1 पात्र सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)* सेवा श्रेणी उद्यमों एवं वृहद उद्यमों** को स्थायी पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) अनुदान, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30*/** में निहित प्रावधानों के अनुसार, लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा, जिसमें आकांक्षी जिलों सहित विकासखंडों में स्थित परियोजनाएँ भी सम्मिलित होंगी।

6.8.2 यदि किसी उद्योग अथवा सेवा उद्यम को भारत सरकार द्वारा संचालित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के अंतर्गत रियायत अथवा अनुदान प्राप्त होता है, तो औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत पात्र औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, PLI योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त प्रदान किया जावेगा*** जहॉ भारत सरकार के PLI योजना CBG परियोजनाओं पर लागू हो।

6.9 विद्युत शुल्क सहायता

संचालन लागत को कम करने हेतु, राज्य शासन द्वारा संयंत्र संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली विद्युत पर विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जावेगी। ऐसी सहायता निम्नलिखित शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगी :–

6.9.1 नवीन MSME* सेवा श्रेणी उद्यमों एवं नवीन वृहद उद्यमों** की स्थापना पर विद्युत शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की जावेगी।

6.9.2 केवल पात्र नवीन वृहद उद्यमों को नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क (सुरक्षा निधि को छोड़कर) का निर्धारित सीमा तक प्रतिपूर्ति किया जावेगा।

6.10 श्रम एवं मानव संसाधन सहायता

स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा संयंत्र संचालन के प्रारंभिक वर्षों में मानव संसाधन में होने वाले परिचालन व्यय को कम करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पात्र CBG परियोजनाओं को निर्धारित शर्तो के अधीन सहायता प्रदान की जावेगी :

6.10.1 नवीन एवं विद्यमान MSME* सेवा श्रेणी उद्यमों एवं वृहद उद्यमों** में कार्यरत् स्थायी कर्मचारियों का देय शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक का कुछ प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी।

6.10.2 छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) * अंशदान में कुछ प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

संदर्भः *छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के श्रेणी (A-2), परिशिष्ट 9.1,9.3,9.13,9,.15; **छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के सी–3, कंडिका (1)(2)(6)(9)(9– i); ***छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कंडिका 12.26

स्तंभ IV : जैव–उर्वरक (FOM/LFOM) प्रबंधन एवं सहायक अधोसंरचना विकास

उद्देश्य : फर्मेन्टेड आर्गेनिक मैन्योर (FOM/LFOM) के सतत वाणिज्यिक उपयोग एवं बाजार एकीकरण (market integration) तथा परियोजना अधोसंरचना के विकास हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग, उपयोगिता प्रणालियों एवं CBG निकास व्यवस्था (evacuation linkage) प्रदान करना।

6.11 जैव–उर्वरक (FOM/LFOM) का प्रबंधन एवं उपयोग

6.11.1 राज्य नोडल एजेंसी CBDA द्वारा राज्य कृषि विभाग/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य नामित अनुसंधान संस्थानों के समन्वय से CBG संयंत्रों के सह–उत्पाद जैव–उर्वरक के अनुसंधान, विपणन एवं वितरण को प्रोत्साहित किया जावेगा, ताकि कृषकों में जागरूकता एवं उपयोगिता विकसित किया जा सके।

6.11.2 राज्य नोडल एजेंसी CBDA द्वारा जैविक खाद के संगठित संग्रहण, गुणवत्ता मानकीकरण तथा FOM/LFOM के संरचित विपणन एवं वितरण हेतु जैविक खाद सहकारी समितियों / FPOs / SHGs के गठन एवं सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित किया जावेगा, जिससे संगठित बाजार पहुंच (organized market access) सुनिश्चित हो सके तथा जैविक खाद के सतत वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिल सके।

6.11.3 राज्य शासन द्वारा कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे वृक्षारोपण, मृदा संवर्धन कार्यक्रमों एवं अन्य शासकीय क्रय प्रणालियों में CBG संयंत्रों के सह–उत्पाद जैव–उर्वरक (FOM/LFOM) के उपयोग को प्राथमिकता दी जावेगी, जिससे संस्थागत मांग उत्पन्न हो सके।

6.11.4 राज्य शासन द्वारा CBG संयंत्रों से उत्पादित फर्मेन्टेड आर्गेनिक मैन्योर (FOM/LFOM) को सहकारी समितियों, कृषि एजेंसियों एवं अन्य संस्थागत माध्यमों से विद्यमान उर्वरक वितरण प्रणाली में सम्मिलित किया जावेगा।

6.11.5 राज्य नोडल एजेंसी CBDA द्वारा राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा संचालित कृषि, उद्यानिकी, वानिकी एवं अन्य हरित प्रयासों में फर्मेन्टेड आर्गेनिक मैन्योर (FOM/LFOM) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा।

6.11.6 राज्य शासन द्वारा फर्मेन्टेड आर्गेनिक मैन्योर (FOM/LFOM) को मानकीकृत, परिवहनीय एवं बाजार–उपयुक्त जैविक उर्वरक में परिवर्तित करने हेतु ग्रैन्युलेशन इकाइयों सहित डाइजेस्टेट वैल्यू एडिशन सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जावेगा।

6.12 अधोसंरचना विकास में सहयोग

6.12.1 अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ETP – Effluent Treatment Plant) पर किये गये व्यय का कुछ प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावेगा।*

6.12.2 जल पुनर्चक्रीकरण/हारवेस्टिंग (Water recycling/harvesting) एवं शून्य निस्सरण (Zero Discharge) की तकनीक की स्थापना पर पर्यावरण संरक्षण अधोसंरचना विकास पर लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जावेगा। इस हेतु इकाई को छत्तीसगढ़ प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी।*

6.12.3 राज्य शासन द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता एवं पर्याप्त भार क्षमता की उपलब्धता के अधीन, CBG संयंत्रों हेतु निकटतम 33/11 kV उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जावेगा। ऐसी आपूर्ति हेतु आवश्यक अधोसंरचना, क्षमता विस्तार पर होने वाले व्यय परियोजना निवेशक/उद्यमी द्वारा वहन किया जावेगा।

6.12.4 राज्य शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि **CBG निकासी (Evacuation) से संबंधित अधोसंरचना के निर्माण हेतु प्रावधानों को City Gas Distribution (CGD) नीति** में समाहित किया जावेगा। इस प्रक्रिया को समयबद्ध एवं डीम्ड अनुमोदन प्रणाली, उपयोग अधिकार (Right of Use - RoU) हेतु पारदर्शी बनाया जावेगा तथा मानकीकृत ढांचा, पुनः स्थापना शुल्क तथा अन्य लागू अनुमतियां एवं शुल्क सम्मिलित किया जावेगा, ताकि **CGD नेटवर्क के माध्यम से CBG की समयबद्ध एवं किफायती दर पर निकासी सुनिश्चित की जा सके।**

*संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के सी–3, कंडिका (7) एवं (8)

स्तंभ V : CBG मांग सृजन एवं परिवहन क्षेत्र एकीकरण

उद्देश्य : घरेलू स्तर पर उत्पादित CBG के लिए परिवहन क्षेत्र के साथ संरचित एकीकरण (structured integration), कम्प्रेस्ड नैचरल गैस (CNG) वाहनों में उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुदृढ नियामकीय अनुमति की सरलीकृत व्यवस्था का सृजन करना।

6.13 संस्थागत क्रय

घरेलू स्तर पर उत्पादित कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं हेतु सुनिश्चित मांग सृजित करने के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा परिवहन क्षेत्र में निम्नलिखित प्रावधान किया जावेगाः–

6.13.1 राज्य शासन द्वारा लागू तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप, पात्र सार्वजनिक परिवहन बसों, निजी वाहनों अथवा नगरीय निकायों (ULB)* द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहनों को CNG में रूपांतरित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु पृथक से अधिसूचना जारी की जावेगी।

6.13.2 शैक्षणिक संस्थानों एवं नगरों/शहरों में संचालित निजी परिवहन संचालकों को इस नीति की वैधता अवधि के दौरान CNG आधारित वाहनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

6.14 CNG वाहन इकोसिस्टम हेतु नियामकीय सुविधा

CNG वाहन अधोसंरचना को अपनाने हेतु नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य परिवहन विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निम्नलिखित सुविधाजनक प्रावधान किया जावेगाः–

6.14.1 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) अथवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) द्वारा प्रमाणित CNG वाहनों एवं CNG किटों की स्वीकृति हेतु आवेदन, पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। वैधता प्रमाणीकरण एवं अनुपालन सत्यापन (compliance verfication) सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रत्येक तीन (3) वर्ष में एक बार किया जावेगा।

6.14.2 पंजीयन प्रमाणपत्र (RC) में CNG ईंधन रूपांतरण का अभिलेखन, पूर्ण दस्तावेज एवं निरीक्षण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत, संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर RTO/DTO के माध्यम से पूर्ण किया जावेगा।

6.14.3 CNG रेट्रो–फिटमेंट केन्द्रों (RFC) की स्थापना हेतु स्वीकृति, तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन के अधीन, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रदान किया जावेगा।

*संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक 6679/5408/2024/18 दिनांक 09.10.2024 के कन्सेशन एग्रीमेंट (CA) की कंडिका 3.10 एवं 4.2

स्तंभ VI : निवेश को प्रोत्साहन एवं विकास (Ecosystem Enablers)

उद्देश्य : कर एवं ब्याज सहायता, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रोत्साहनों को निर्धारित समय–सीमा में जवाबदेही सहित डिजिटल सिंगल–विंडो अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से निवेश–अनुकूल CBG इकोसिस्टम का निर्माण करना।

6.15 कर एवं ब्याज सहायता

राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान किया जावेगा :–

6.15.1 पात्र MSME* सेवा श्रेणी उद्यमों एवं वृहद उद्यमों** को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (Net SGST) की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30*/** में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

6.15.2 पात्र MSME* सेवा श्रेणी उद्यमों एवं वृहद उद्यमों** को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सावधि ऋण में ब्याज अनुदान छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30*/** में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जावेगा।

6.16 अनुसंधान, विकास एवं नवाचार सहायता

CBG क्षेत्र में नवाचार, स्वदेशीकरण तथा तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य शासन द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए निम्नानुसार सहायता प्रदान की जावेगी :–

6.16.1 राज्य नोडल एजेंसी CBDA, CBG क्षेत्र हेतु नामित अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान*** के रूप में आवश्यक तकनीकी सुधार, परिचालन दक्षता संवर्धन एवं इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य करेगा। CBDA द्वारा डाइजेस्टर दक्षता संवर्धन, फर्मेन्टेड आर्गेनिक मैन्योर (FOM) उत्पादों के विकास एवं मानकीकरण, तकनीकी प्रमाणीकरण, अध्ययन, वैकल्पिक फीडस्टॉक विकास तथा अन्य परिचालन दक्षता/तकनीकी सुधार संबंधी पहलुओं पर कार्य करेगा।

6.16.2 राज्य में स्थापित नवीन उद्यमों को ISO-9000, ISO-14000,ISO-18000, ISO-22000, BIS प्रमाणन, ZED प्रमाणन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) प्रमाणन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में LEBP प्रमाणन, Agmark, Euro Standards अथवा अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जावेगी।*

6.16.3 राज्य में स्थापित नवीन उद्यमों को उनके मौलिक कार्य/अनुसंधान पर आधारित सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेंट प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।*

संदर्भः *छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के श्रेणी (A-2), परिशिष्ट 9.1,9.2, 9.9 एवं 9.10 **छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के सी–3, कंडिका (1) एवं (1-A) *** छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक 6679/5408/2024/18 दिनांक 09.10.2024 के कन्सेशन एग्रीमेंट (CA) की कंडिका 4.5

6.16.4 राज्य नोडल एजेंसी CBDA* द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) तथा अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से ग्रामीण, अर्ध–शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर विकेन्द्रीकृत प्लास्टिक टैंक आधारित बायोगैस उत्पादन प्रणालियों का परीक्षण किया जावेगा। इस परीक्षण में तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय स्थिरता, विस्तार क्षमता, सुरक्षा मानक तथा विद्यमान ग्रामीण स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन किया जावेगा।

6.17 संस्थागत क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास

CBG क्षेत्र के सतत विकास हेतु कुशल तकनीकी मानव श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों सहित CBG कौशल एवं क्षमता विकास ढांचा स्थापित किया जावेगा :–

6.17.1 CBDA द्वारा CBG संयंत्र संचालन से संबंधित संयंत्र परिचालकों, अनुरक्षण तकनीशियनों, सुरक्षा पर्यवेक्षकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों हेतु मानकीकृत प्रशिक्षण एवं प्रमाणन मॉड्यूल विकसित किया जावेगा।

6.17.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs), पॉलिटेक्निक संस्थानों, कृषि/अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा तथा समेकित विश्वविद्यालयों, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA), शासकीय तेल एवं गैस विपणन कंपनियां (OGMCs) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के सहयोग से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जावेगा। तकनीकी क्षमता सुदृढ़ीकरण SOPs/क्षेत्रीय प्रशिक्षणों के माध्यम से तथा राज्य विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों/शासकीय तेल एवं गैस विपणन कंपनियां (OGMCs) के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जावेगा।**

6.17.3 नवीन उद्यमों को ऐसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र माना जायेगा, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों। ***

*संदर्भः भारत सरकार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक F-No- 11/805/2019-TU-V दिनांक 02.06.2025 **CBDA एव IIT भिलाई के मध्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संबंधी दिनांक 20.05.2019 के समझौता ज्ञापन (MoU) ***छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अध्याय (सी–3), कंडिका (10)

6.18 सिंगल विंडो प्रणाली (Single Window Mechanism)

समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, अनुमोदन समय–सीमा को कम करने तथा व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं के विकास एवं संचालन हेतु आवश्यक सभी अनुमतियों, स्वीकृतियों एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) के लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली तैयार किया जावेगा :–

6.18.1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य नोडल एजेंसी CBDA के समन्वय से, इस नीति की अधिसूचना की तिथि से छह (06) माह की अवधि के भीतर, विद्यमान सिंगल विंडो पोर्टल में CBG परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी संबंधित विभागों एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं का एकीकरण एवं समावेश सुनिश्चित किया जावेगा तथा CBG परियोजनाओं हेतु सिंगल विंडो पोर्टल के विकास, संचालन एवं प्रबंधन कार्य को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।

6.18.2 परियोजना संबंधी सभी स्वीकृतियां जैसे की भूमि, पर्यावरण, उपयोगिताओं तथा वैधानिक अनुपालनों से संबंधित अनुमतियॉ, अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) एवं वैधानिक स्वीकृतियॉ, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से किया जावेगा।

7. शासकीय व्यवस्था (Governance Mechanism)

7.1 राज्य नोडल एजेंसी

7.1.1 इस नीति के अंतर्गत नामित राज्य नोडल एजेंसी, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA), छत्तीसगढ़ राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं के प्रोत्साहन, सुविधा प्रदान कराने तथा समन्वित क्रियान्वयन हेतु प्रमुख प्राधिकरण होगा।

7.1.2 राज्य नोडल एजेंसी CBDA द्वारा, inter alia, निम्नलिखित कार्य संपादित किया जावेगाः

7.1.2.1 नीति के अंतर्गत निवेशकों एवं परियोजना निवेशको/उद्यमियों के पंजीयन को सुगम बनाना, प्रोत्साहनों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना तथा प्रश्नों, शिकायतों एवं क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना।

7.1.2.2 फीडस्टॉक परिवहन मार्गों का चिन्हांकन, परिवहन व्यय में कमी लाना तथा गैस वितरण प्रणाली के साथ समन्वय हेतु पीएम गति शक्ति (PM GatiShakti) राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप CBG परियोजनाओं एवं संबंधित निकासी अधोसंरचना (Evacuation Infrastructure) का विकास करना।

7.1.2.3 कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्यौगिकी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से कृषि अवशेष, पशु गोबर, नगरीय ठोस अपशिष्ट, कृषि–औद्योगिक अवशेष एवं अन्य बायोमास की जिलेवार उपलब्धता संबंधी आंकड़ों का प्रतिवर्ष संकलन एवं संधारण करना।

7.1.2.4 बायोमास उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धी उपयोगों (competing use) तथा विभिन्न बायोमास स्रोतों की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता (viability) के आंकलन को अद्यतन करने हेतु प्रतिवर्ष जिला एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर पर सर्वेक्षण कराना अथवा सुगम बनाना, जिनका उपयोग परियोजना पंजीयन, कैचमेंट क्षेत्र आबंटन एवं क्षमता नियोजन किया जावेगा।

7.1.2.5 CBDA द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से CBG परियोजनाओं से संबंधित अनुमतियों एवं आवेदनों के प्रस्तुतिकरण, निगरानी तथा समयबद्ध प्रसंस्करण का संचालन किया जावेगा।

7.1.2.6 अधिसूचित CBG परियोजनाओं हेतु फीडस्टॉक प्रकार, संचालन के स्तर तथा अपशिष्ट जल निकासी मानकों के आधार पर निर्धारित CPCB उद्योग वर्गीकरण मानकों के अनुरूप Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO) तथा अन्य लागू पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल किया जावेगा।

7.1.2.7 उच्च स्तरीय राज्य SATAT समिति* (संदर्भ कंडिका क्र. 9.2) के माध्यम से CBG क्षेत्र के प्रदर्शन (performance) की समय–समय पर निगरानी करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं नियमित समीक्षा करना, जो इकोसिस्टम के विस्तार को सुनिश्चित करने हेतु नीति में संशोधन, नियामकीय हस्तक्षेप अथवा सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करेगी।

*संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, आदेश क्रमांक 1961/एफ–26/06/SATAT/2021/13/2 दिनांक 07.09.2021

7.2 जिला स्तरीय समिति (DLC)

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC)* गठित की जावेगी, जो निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी :

7.2.1 प्रस्तावों का मूल्यांकन कर उपयुक्तता एवं व्यवहार्यता के आधार पर भूमि आबंटन किया जावेगा।

7.2.2 जिले में फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण एवं सुचारू संचालन हेतु कृषकों, फीडस्टॉक एग्रीगेटरों एवं CBG परियोजना निवेशकों/उद्यमियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जावेगा।

7.2.3 कृषकों, एग्रीगेटरों एवं परियोजना निवेशकों/उद्यमियों के साथ पारस्परिक परामर्श के आधार पर फीडस्टॉक हेतु उपयुक्त जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण को सुगम बनाना, जिससे पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित किया जावेगा।

7.2.4 जिले मे फीडस्टॉक के परिवहन, भंडारण एवं आवागमन हेतु एग्रीगेटरों को नियामकीय (regulatory) एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जावेगा।

7.2.5 कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए CBG संयंत्रों के सह–उत्पाद जैविक खाद एवं जैव–उर्वरक के विपणन एवं वितरण की व्यवस्था की जावेगी।

7.2.6 जिला स्तर पर आवश्यक अनुमतियों एवं स्वीकृतियों के समन्वय साधन करना, जिनमें अग्नि सुरक्षा, भूमि उपयोग संबंधी अनुमति, कृषि भूमि का गैर–कृषि प्रयोजन हेतु रूपांतरण, शासकीय भूमि की उपलब्धता, विद्युत एवं जल आपूर्ति, प्रयुक्त जल/अपशिष्ट जल उपचार, ट्रांसमिशन अधोसंरचना तथा आवश्यकतानुसार विकास शुल्क में छूट अथवा रियायत प्रदान की जावेगी, जहॉ आवश्यक हो।

7.2.7 निर्दिष्ट कमांड/कैचमेंट क्षेत्र के अंदर एग्रीगेटर एवं निवेशक/उद्यमी द्वारा फीडस्टॉक आपूर्ति सुनिश्चित किया जावेगा, जिससे फिडस्टॉक संबंधी विवादों की रोकथाम की जा सके।

7.2.8 कृषकों/फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान संबंधित विवादों का निराकरण सुनिश्चित किया जावेगा।

7.2.9 जैविक खाद एवं कंप्रेस्ड बायोगैस की आपूर्ति एवं उपयोग से संबंधित अनुबंधों के निष्पादन में सहायता की जावेगी।

7.2.10ऐसी परिस्थितियों में, जहां एक ही कैचमेंट क्षेत्र में एक से अधिक एग्रीगेटर कार्यरत हों, वहां सुव्यवस्थित आपूर्ति एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु एग्रीगेटरों की संख्या को सीमित करने की अनुशंसा राज्य नोडल एजेंसी CBDA के माध्यम से राज्य स्तरीय SATAT समिति** के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

7.3 निगरानी एवं शिकायत निवारण

7.3.1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत सभी CBG परियोजनाओं का परिचालन एवं प्रदर्शन संबंधी आंकडे समय–समय पर राज्य नोडल एजेंसी CBDA को प्रस्तुत करेगा। यह आंकडे में फीडस्टॉक का उपयोग, गैस का उत्पादन, डाइजेस्टेट का उपयोग एवं संयंत्र संचालन की अद्यतन स्थिति CBDA द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट अंतराल में प्रस्तुत किया जावेगा।

7.3.2 द्विस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से परियोजना संबंधी आवश्यक अनुमतियों, भूमि आबंटन, फीडस्टॉक आपूर्ति, उपयोगिता का समन्वय साधन तथा अन्य क्रियान्वयन संबंधी विषयों के समाधान किया जावेगा :–

(क) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय CBG मॉनिटरिंग समिति (DLC)।

(ख) सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय राज्य SATAT समिति।

8. स्थापित किये जाने वाले CBG संयंत्रों के पंजीयन की प्रक्रिया

8.1 पंजीयन की प्रयोज्यता

ऐसे निवेशक/उद्यमी (Developer), जिन्हें भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) अथवा समकक्ष ऑफ–टेक गारंटी योजना के अंतर्गत पूर्व में आशय पत्र (LoI) जारी किया जा चुका है तथा केंद्रीय जैविक जैव–कृषि संसाधनों का संवर्धन (GOBARdhan) पोर्टल पर पंजीयन कराया है, उन्हें वर्तमान नीति के अंतर्गत पंजीकृत किया जावेगा।

8.2 जिला आधारित क्षमता विनियमन एवं कैचमेंट क्षेत्र संबद्धता

जिला स्तर पर अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन क्षमता के आंकलन के आधार पर, CBG परियोजनाओं का पंजीयन इस प्रकार सीमित किया जावेगा कि किसी जिले की अनुमानित अपशिष्ट आधारित बायोगैस उत्पादन क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक का आबंटन न किया जावे, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित होगा :

8.2.1 बायोमास की वैकल्पिक उपयोग हेतु उपलब्धता।

8.2.2 स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त आपूर्ति।

8.2.3 फीडस्टॉक आपूर्ति की दीर्घकालीन स्थिरता।

8.2.4 परियोजनाओं का पंजीयन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी CBDA की अनुशंसाओं के आधार पर किया जावेगा। CBDA द्वारा परियोजना हेतु आवश्यक फीडस्टॉक के आधार पर संयंत्र की क्षमता एवं क्रियान्वयन हेतु तत्परता के आधार पर अनुशंसा किया जावेगा। उक्त अनुशंसा के आधार पर परियोजनावार फीडस्टॉक कैचमेंट क्षेत्र के दायरा में कमी या वृद्धि किया जावेगा।

8.3 स्थल चयन, फीडस्टॉक कैचमेंट क्षेत्र एवं विशिष्टता

निवेशक/उद्यमी (Developer) को अनुमोदित जिले के भीतर परियोजना स्थल चयन की स्वतंत्रता होगी। परियोजना की क्षमता एवं बायोमास उपलब्धता को आधार मानते हुये :–

8.3.1 एक विकासखंड/तहसील में कोई अतिरिक्त CBG परियोजना का पंजीयन नहीं किया जावेगा, यदि उससे अनुमोदित परियोजना की फीडस्टॉक उपलब्धता अथवा वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

8.3.2 जिला कलेक्टर द्वारा, संयंत्र क्षमता एवं बायोमास उपलब्धता के आधार पर कैचमेंट क्षेत्र का विस्तार समीपवर्ती विकासखण्डों/तहसीलों तक किया जावेगा।

8.3.3 किसी तहसील में उत्पन्न बायोमास का उपयोग सामान्यतः उसी विकासखण्ड/तहसील के भीतर किया जावेगा। वृहद क्षमता वाली परियोजनाओं हेतु जिला कलेक्टर द्वारा दो अथवा दो से अधिक विकासखण्डों/तहसीलों को कैचमेंट क्षेत्र में शामिल किया जावेगा।

8.4 केंद्रीय एवं राज्यीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन

सभी निवेशकों/उद्यमियों द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार अथवा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा CBG परियोजनाओं से संबंधित राज्य शासन द्वारा जारी नियमों, अधिसूचनाओं एवं विनियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

9. विविध प्रावधान

9.1 इस नीति के अंतर्गत स्थापित सभी कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकाइयों द्वारा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी पर्यावरणीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं एवं आदेशों का अनुपालन किया जावेगा, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा तथा वैधानिक स्वीकृतियों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होंगे।

9.2 नीति के समग्र पर्यवेक्षण, समय–समय पर समीक्षा, अंतर्विभागीय समन्वय, क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के समाधान तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राज्य SATAT समिति गठित की जावेगी, जिसमें निम्नलिखित विभागों का प्रतिनिधित्व होगाः

9.2.1 ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।

9.2.2 कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।

9.2.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

9.2.4 नगरीय प्रशासन विभाग।

9.2.5 छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम।

9.2.6 आवश्यकतानुसार समय–समय पर अन्य शासकीय विभागों को भी सम्मिलित किया जावेगा।

———00———

Chhattisgarh Compressed Biogas Policy (CG-CBG Policy), 2026

Chhattisgarh Biofuel Development Authority (CBDA)
Department of Energy
Government of Chhattisgarh

Date of Publication in Official Gazette: 10th July 2026
Place: Raipur

TABLE OF CONTENTS

Sl. No.	Section	Page (s)
1.	**Preamble**	1
2.	**Vision**	2
3.	**Objectives**	3
4.	**Applicability of the Policy**	4
5.	**Timeline**	4
6.	**Incentive and Regulatory Reforms**	
	Pillar I: Foundational Infrastructure Support for Setting up CBG Projects:	
	6.1 Land Lease Support	5
	6.2 Provisioning and shifting of Utilities	6
	Pillar II: Feedstock Supply Chain	
	6.3 Integrated Feedstock Planning Framework	7
	6.4 Agricultural Residue based Feedstock Support	8
	6.5 Municipal Solid Waste based Feedstock Support	9
	6.6 Press Mud and other sugar mill by-product-based Feedstock Support	10
	6.7 Animal Husbandry based Feedstock Support	10
	Pillar III: Plant Setup and Operations Support	
	6.8 Capital Support	11
	6.9 Power Tariff Support	11
	6.10 Labor and Manpower Support	11
	Pillar IV: Bio-Manure (FOM/LFOM) Management and Supporting Infrastructure Development	
	6.11 Management and Utilization of Bio-Manure (FOM/LFOM)	12
	6.12 Supporting Infrastructure Development	13
	Pillar V: CBG Demand Creation and Transport Sector Integration	
	6.13 Procurement by Institutions	14
	6.14 Regulatory Facilitation for CNG Vehicle Ecosystem	14
	Pillar VI: Development of Ecosystem Enablers	
	6.15 Tax and Interest Support	15
	6.16 Research, Development, and Innovation Support	15
	6.17 Institutional Capacity Building and Skill Development	16
	6.18 Single Window Mechanism	17
7.	**Governance Mechanism**	
	7.1 State Nodal Agency	18
	7.2 District Level Committee	19
	7.3 Monitoring and Grievance redressal	19
8.	**Procedure for Registration of CBG Plants to be Established**	
	8.1 Applicability of Registration	20
	8.2 District Based Capacity Regulation and Catchment Area Affiliation	20
	8.3 Site Selection, Feedstock Catchment Area and Exclusivity	20
	8.4 Compliance with Central and State Guidelines	21
9.	**Miscellaneous Provisions**	21

1. PREAMBLE

1.1 India's transition towards a cleaner, low-carbon, and sustainable energy system necessitates the accelerated development of alternative fuels that enhance energy security, reduce environmental impact, and strengthen rural economic resilience. In this context, Compressed Biogas (CBG) has emerged as a key component of the national strategy to promote clean energy and circular economy practices.

1.2 Compressed Biogas (CBG), produced from agricultural residues, livestock waste, municipal solid waste, and agro-industrial by-products, provides a viable pathway for converting locally available biomass into clean gaseous fuel suitable for transport, industrial, and commercial applications. It also contributes to reduction in greenhouse gas emissions, improved waste management, and generation of value-added by-products such as bio-manure.

1.3 The Government of India has undertaken several initiatives, including the Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) program, to promote large-scale deployment of CBG. In this context, Chhattisgarh State Level SATAT committee has been constituted under the chairmanship of the Secretary, Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh*****

1.4 The State of Chhattisgarh, with its agrarian economy and abundant bio-resources, is uniquely positioned to play a significant role in the development of the CBG sector. The State generates substantial quantities of biomass, particularly from paddy cultivation, livestock waste, and agro-industrial activities.

1.5 The State also benefits from an emerging gas infrastructure ecosystem, including multiple City Gas Distribution (CGD) networks which can support downstream utilization of CBG.

1.6 This Policy has been formulated to provide a clear, transparent, and enabling framework for the Compressed Biogas (CBG) projects in Chhattisgarh. It seeks to create a robust ecosystem through targeted interventions across the value chain, including feedstock supply, infrastructure development, regulatory facilitation, market integration, and institutional co-ordination.

1.7 The Policy aims to promote investment, enhance ease of doing business, support decentralized clean energy generation, improve scientific management of organic waste, and contribute to sustainable economic development, employment generation, and environmental protection across the State.

1.8 While aligning with national initiatives, the Policy adopts a balanced approach that combines market-driven mechanisms with targeted institutional support, thereby ensuring long-term sustainability, investor confidence, and scalable deployment of CBG infrastructure in Chhattisgarh.

1.9 Strong technology focus is imperative for the development of biofuels such as Compressed Biogas (CBG) utilizing domestic feedstock. The Policy would encourage Innovation and provide thrust to Research & Development (R&D) in CBG sector.

*****refer Govt. order no. 1961/F-26/06/SATAT/2021/13/2 dt. 07.09.2021, Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh

2. VISION

2.1 The State of Chhattisgarh through its State Nodal Agency i.e. Chhattisgarh Biofuel Development Authority (CBDA) envisions establishing a regionally balanced, resource-responsive, and scalable Compressed Biogas (CBG) ecosystem that enables efficient conversion of organic waste into clean energy, while generating long-term environmental value.

2.2 By leveraging its diverse bio-resource base including agricultural residues, livestock waste, municipal solid waste, and agro-industrial by-products, and dedicated energy crops the State seeks to position CBG as a key pillar of its clean energy transition and waste-to-wealth strategy.

2.3 Recognizing the significant availability of surplus biomass in the State, Chhattisgarh aims to unlock its full potential for CBG production.

2.4 The State also seeks to integrate CBG production with its evolving gas infrastructure ecosystem, including City Gas Distribution (CGD) networks and expanding CNG infrastructure, to facilitate efficient evacuation, distribution, and utilization of CBG as a substitute for fossil-based fuels.

2.5 In view of regional variations in biomass availability, logistics, and demand patterns, the State adopts a decentralized and zonally differentiated development approach for CBG deployment. This approach aims to:

- 2.5.1 Optimize utilization of locally available feedstock
- 2.5.2 Enhance operational reliability and efficiency of CBG plants
- 2.5.3 Promote equitable regional development, including in tribal and remote areas
- 2.5.4 Reduce logistics costs and supply chain inefficiencies

2.6 The Vision further aims to promote integration of CBG across multiple end-use sectors, including:

- 2.6.1 Transport sector through substitution of CNG
- 2.6.2 Industrial fuel applications
- 2.6.3 Injection into City Gas Distribution (CGD) networks
- 2.6.4 Production and utilization of bio-manure for sustainable agriculture

2.7 Through this integrated and resource-aligned approach, the State aspires to emerge as a leading model for structured, sustainable, and large-scale deployment of Compressed Biogas (CBG) projects in the country.

3. OBJECTIVES

3.1 The overarching objective of this Policy is to enable large-scale deployment of Compressed Biogas (CBG) plants across the State of Chhattisgarh by addressing structural challenges related to feedstock supply chains, project development, plant operations, ancillary infrastructure, and the overall ecosystem.

3.2 The Policy aims to position Compressed Biogas as an integral component of Chhattisgarh's clean energy transition, circular economy framework, and waste management strategy, by creating a predictable and enabling environment for project development, investment, and long-term operations.

3.3 In furtherance of the above, the Policy seeks to achieve the following specific objectives:

3.3.1 **Enable reliable, predictable, and cost-efficient feedstock supply chains** through structured aggregation, storage, and logistics mechanisms aligned with district-level biomass availability.

3.3.2 **Improve project viability and bankability** by creating an enabling ecosystem supported by targeted fiscal measures, regulatory facilitation, and coordinated institutional support.

3.3.3 **Enhance ease of doing business** by streamlining access to infrastructure and utilities, including land, power, water and waste management systems

3.3.4 **Foster investor confidence and accelerate private sector participation** by ensuring policy clarity, regulatory stability, and time-bound approvals across all stages of project development and operation.

3.4 Collectively, these measures are intended to complement and reinforce National level CBG initiatives, contribute to enhanced energy security, reduce dependence on imported natural gas, strengthen rural and urban livelihoods, improve large-scale organic waste management, and advance India's climate mitigation and circular economy objective.

4. APPLICABILITY OF THE POLICY

This Policy shall apply to all Compressed Biogas (CBG) projects and associated activities undertaken within the territorial jurisdiction of the State of Chhattisgarh, subject to the provisions set out herein:

4.1 The Policy shall be applicable to all new CBG projects established within Chhattisgarh during the operative period of the Policy, having registered as per Clause No. 8.1

4.2 CBG plants utilizing any form of organic feedstock shall be eligible under this Policy. Eligible feedstocks shall include:

a. Agricultural and crop residues
b. Animal dung and livestock waste
c. Municipal solid waste, including segregated organic fractions, sewage sludge/waste
d. Agro-industrial residues such as press mud, cane trash etc., and
e. Energy crops such as Napier etc.

4.3 All projects covered under this Policy shall comply with applicable laws, rules, and standards issued by the Government of India and Government of Chhattisgarh, including those relating to environment, safety, land use, quality specifications, and statutory approvals.

4.4 Existing Enterprises established in the State that commenced commercial production before the specified date of issuance of notification of this policy shall also be eligible for incentives and benefits under this policy, except where specific transition or migration provisions are expressly notified by the State Government.

5. TIMELINE

5.1 This Policy shall come into effect from the date of its notification in the Official Gazette and shall remain in force till 31/03/2030.*

*refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, Clause (2)

6. INCENTIVE AND REGULATORY REFORMS

Pillar I: Foundational Infrastructure Support for Setting up CBG Projects

Objectives: Provide assured land access and time-bound provisioning and shifting of utilities through a single-window, deemed approval framework to prevent project development delays and upfront entry barriers for CBG Projects.

6.1 Land Lease Support

6.1.1 The land for establishment of CBG Projects in the State shall be allotted according to the Rules and provisions contained in Govt. of Chhattisgarh, Revenue Department orders and/or circulars relevant to allotment of Government land for industrial purposes and as per provisions contained in the State Industrial Development Policy 2024-30* or Urban Administration and Development Department**, Govt. of Chhattisgarh guidelines for establishment of CBG Plant on concessional lease basis.

6.1.2 For establishment of new enterprises by MSMEs and large enterprises* and expansion/diversification/substitution/modernization of existing enterprises, micro and small enterprises will be eligible for exemption on land use conversion fees (diversion fees)

6.1.3 For establishment of new enterprises in compressed bio-gas (CBG) sector by large enterprises, as well as cases of expansion/diversification/substitution/modernization of existing enterprises, will receive reimbursement of the registration fee payable on land.

*refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, Category (A-2) Annexure(s) 9.6,9.7,9.17,9.20; *refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, C-3, Clause (4) (5); **refer Urban Administration and Development Department order vide no. F5-7/2025/18 dt. 07.05.2025

6.2 Provisioning and shifting of Utilities

To ensure timely commissioning of Compressed Biogas (CBG) projects, Chhattisgarh will extend comprehensive support for provision and shifting of utilities through a structured and time-bound framework as detailed below:

6.2.1 All utility related permissions and facilitation required for establishment and operation of CBG projects including electricity connection, water supply and shifting or relocation of existing public infrastructure (such as electricity poles, underground cables, water and sewer lines, CGD pipelines etc.) will be coordinated by the designated State Nodal Agency (CBDA) under online single window mechanism.

6.2.2 All costs associated with provisioning, shifting or relocation of utilities required for CBG projects- including electricity connection, water supply, drainage, road access and relocation of existing public infrastructure including CGD pipelines shall be borne by the concerned project proponent(s).

6.2.3 In cases where such infrastructure is shared or subsequently utilized by multiple CBG projects and/or other entities, including public agencies or local bodies, the associated costs will be apportioned, recovered or re-adjusted on a pro-rata basis, in accordance with the extent of usage or capacity allocation, as determined by the Government of Chhattisgarh.

6.2.4 Clearances / Approvals / NOCs for provision, shifting or relocation of utilities required for CBG projects shall be processed by the concerned department within the specified time period as per norms of concerned department, from the date of submission of a complete application. Within this period, the department shall either grant approval or communicate, in writing, any specific modifications or deficiencies in the proposal. If no communication, approval or objection is issued within specified time period from the date of submission of a complete application, the proposal shall be deemed approved by concerned department subject to compliance with applicable safety, technical, and environmental norms. The above timelines will be incorporated into and monitored through the State Single Window Portal (SWP) framework.

Pillar II: Feedstock Supply Chain

Objective: Institutionalize a structured, catchment-based feedstock ecosystem to ensure reliable, year-round and cost-efficient supply of agricultural residues, municipal waste, animal waste, and sugar by-products to CBG plants.

6.3 Integrated Feedstock Planning Framework

To ensure continuous, reliable and cost-effective availability of feedstock for Compressed Biogas (CBG) projects, Chhattisgarh will establish a structured, decentralized and institutionally anchored feedstock supply chain framework as detailed below:

6.3.1 Each CBG project will be assigned to a **clearly defined feedstock catchment area where every district shall be defined as catchment area*** and will serve as the primary zone for feedstock aggregation and supply. Based on plant capacity, feedstock availability and logistical considerations, the District Collector / District Level Committee of the concerned district may, where necessary, approve extension of the catchment area to one or more adjoining tehsils.

6.3.2 A district level CBG monitoring committee (DLC) shall be constituted at district level (Catchment area) for facilitating availability of Agri-biomass, paddy straw and other biomass to ensure sustainable supply source of biomass at an affordable rate to CBG Entrepreneurs. The district level CBG monitoring committee (DLC) shall be constituted with following members:

1.	District Collector	Chairman
2.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member
3.	Commissioner, Nagar Palik Nigam/Parishad	Member
4.	Deputy Director, Agriculture	Member
5.	District Agriculture Extension Officer	Member
6.	District Industry Officer	Member
7.	Technical / Assistant Project Officer, CBDA	Member Secretary
8.	Assistant Engineer/ District In charge, CREDA	Member
9.	Farmer Producer Organization (FPO) /Aggregator (concerned district)	Member
10.	Bio-energy Entrepreneur (concerned district)	Member

6.3.3 The above-mentioned district level CBG monitoring committee (DLC) shall also oversee the following:

i. Evaluate proposals and approve land allotment based on suitability and feasibility upon assessment of district-wise availability of agricultural residues, cattle dung, and other biomass.

*refer Department of Energy, Govt. of Chhattisgarh order vide no. 1336/F-12/05/2024/13/2 dt. 24.04.26

ii. Overall monitoring, facilitation and supervision of CBG projects in the district.

iii. Co-ordination among stakeholders, including farmers, FPOs, aggregators, and project developers.

iv. Facilitate equitable access to biomass resources for CBG projects through district-level biomass allocation planning, aggregation support, and coordinated supply arrangements involving FPOs, cooperatives, local bodies, and aggregators.

v. Periodic revision and updating of district-wise biomass and organic waste availability assessments, shall be done by District Level Committee, at least once every two (2) years, to ensure accurate feedstock planning and sustainable allocation, the assessed data shall be periodically reported to CBDA for capacity regulation as per provisions in Clause No. 8.2.

6.3.4 The district level CBG monitoring committee (DLC) will coordinate with various stakeholders e.g. project developers, farmer producer organizations (FPOs), cooperatives, panchayats, ULBs or aggregators to setup feedstock aggregation and storage centers within designated catchment areas to support efficient logistics and year-round feedstock supply.

6.3.5 The district level CBG monitoring committee (DLC) shall function as per Governance Mechanism in Clause No. 7.2.

6.4 Agriculture Residue based Feedstock Support

To strengthen the agricultural residue supply chain for CBG projects and address issues such as open burning, and unutilized crop residues, the Government will implement the following measures:

6.4.1 The State will encourage procurement and deployment of Biomass Aggregation and handling machinery, including Balers, Rakers, Trolleys, Shredders, Loaders, and transportation equipment under **Biomass Aggregation Machinery (BAM) support scheme of Govt. of India***.

6.4.2 The State Agriculture Dept. will form at least one farmer producer organization (FPO) for biomass collection within the designated catchment area. The department will provide training, capacity building, and hand-holding support to such FPOs and farmers on Agri-waste collection, handling, storage and logistics. Further, the agriculture department, will also facilitate execution of long-term feedstock supply contracts between these FPOs and CBG Producers.

*refer Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), Government of India Office Memorandum No. L-16020/02/2023-GP-I(E-45833) dt. 08.07.2025 regarding "Scheme Guidelines for providing Financial Assistance to Compressed Bio Gas (CBG) producers for procurement of biomass aggregation machinery"

6.5 Municipal Solid Waste based Feedstock Support

To enhance urban sanitation, promote scientific processing of segregated organic waste and reduce landfill dependency, the State Govt. will integrate biodegradable waste streams with CBG projects as part of a structured urban waste management framework. For this purpose, the State will implement the following provisions:

6.5.1 CBDA, the State Nodal Agency will facilitate long-term arrangements for supply of segregated organic municipal solid waste to CBG projects located within or serving their catchment area, in accordance with applicable solid waste management rules.

6.5.2 CBDA along with concerned Urban Local Body / Municipal Corporation shall facilitate execution of long-term Concession Agreements with eligible CBG Project Developers in the State for supply of regular feedstock for a period of up to twenty-five (25) years, subject to applicable laws, rules, and contractual provisions beyond this policy period.

6.5.3 Krishi Mandis will be encouraged to enter into long-term feedstock delivery contracts with CBG Producers for collection of agricultural waste and residues generated at agricultural produce markets (Krishi Mandis) and for their systematic delivery to Compressed Biogas plants. Such waste residues will be eligible for exemption of Mandi Fees.*

*refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, C-3, Clause (11)

6.6 Press Mud and other sugar mill by-product-based Feedstock support

To ensure availability of press mud and other sugar-mill byproduct at fair market price for Compressed Biogas (CBG) projects, the State will implement the following:

6.6.1 In catchment areas where CBG plant is established, using press mud or any other sugar mill byproduct as feedstock, such feedstock shall be accorded priority for use in CBG projects.

6.6.2 Long-term feedstock supply contracts will be executed between sugar mills/sugar cooperatives and CBG project developers for assured supply of press mud. Such contracts will also provision for reverse supply of bio-manure (Fermented organic Manure) generated from the CBG plants to the sugar mills/sugar cooperatives or designated agencies. The purchase price of press mud and the rate of supply of bio-manure shall be mutually agreed between the sugar mill and the CBG project developer.

6.7 Animal Husbandry based Feedstock Support

To advance circular economy principles and transform livestock waste into clean energy and bio-fertilizer, the State will integrate animal husbandry waste streams into a structured waste-to-wealth framework that promotes resource recovery, rural sanitation, and sustainable bio-resource utilization for this purpose, the following provisions will be implemented:

6.7.1 The Animal Husbandry Department will facilitate long-term feedstock supply arrangements between Gaushalas, Cattle Sheds, Dairies, and CBG Project Developers for supply of animal dung, and livestock waste. Such arrangements will include fixed fee-based supply contracts to ensure predictable feedstock availability while improving circular economy and animal waste management outcomes. The Dept. will encourage aggregation of cattle dung at village level through cooperatives, SHGs, FPOs or registered aggregators to support decentralized feedstock logistics

Pillar III: Plant Setup and Operations Support

Objective- Enhance bankability and early-stage operational stability of CBG Plants through capital assistance, fiscal incentives, subsidies, exemptions and concessions including power cost rationalization and structured manpower support mechanisms

6.8 Capital Support

To mitigate high upfront capital requirements and improve the bankability of Compressed Biogas (CBG) projects, the State will provide capital support for establishment of CBG Plants Such support will be investment linked and designed to complement Central Government assistance, subject to conditions.

6.8.1 **Eligible MSMEs* and large enterprises**** will have the option to avail the Fixed Capital Investment (FCI) Subsidy, as per provisions contained in Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30*/** including for projects located in development blocks including aspirational districts.

6.8.2 If any industry or service enterprise receives concessions or subsidies under the **Production Linked Incentive (PLI)** scheme implemented by the Government of India, the industrial investment incentives eligible under the Industrial Development Policy 2024-30 will be provided in addition to the incentive amount given under PLI Scheme***, subject to applicability of PLI Scheme in CBG Projects by Government of India.

6.9 Power Tariff Support

To reduce operating cost, the State will extend power tariff support, for electricity consumed during plant operations. Such support will be subject to conditions and limits specified below:

6.9.1 **New MSME enterprises*** and new **large enterprises**** in CBG sector will be eligible for exemption from payment of electricity duty.

6.9.2 Only eligible new large enterprises will be provided with a reimbursement of the charges for new electricity connections (excluding security deposit) up to a certain extent.

6.10 Labor and Manpower Support

To promote local employment and reduce manpower related operating cost during the initial years of plant operations, the State will extend targeted labour and manpower support to eligible CBG projects, subject to conditions and limits specified below:

6.10.1 **New and existing MSMEs* and Large Enterprises**** in the State will be reimbursed up to a certain percentage of the net salary/remuneration.

6.10.2 Reimbursement of the EPF* contribution for employees from Chhattisgarh up to a certain percentage will be provided.

*refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, Category (A-2) Annexure: 9.1,9.3, 9.13, 9.15 **refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, C-3: Clause (1) (2) (6) (9) (9-A); *** Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh Clause (12.26)

Pillar IV: Bio-Manure (FOM/LFOM) Management and Supporting Infrastructure Development

Objective- Enable sustainable monetization and market integration of fermented organic manure while supporting development of essential project infrastructure such as approach roads, utility systems, and CBG evacuation linkages

6.11 Management and Utilization of Bio-Manure (FOM/LFOM)

6.11.1 The State Nodal Agency CBDA in co-ordination with State Agriculture Department/State Agriculture Universities and other designated Research Institutions will promote research, marketing and distribution of Bio-Manure produced by CBG Plants, to create farmer awareness and acceptance.

6.11.2 The State Nodal Agency will promote and facilitate formation and strengthening of organic manure cooperatives/FPOs/SHGs for organized aggregation, quality standardization, and structured marketing and distribution of FOM/LFOM to enable organized market access and ensure sustainable commercialization of organic manure.

6.11.3 The State Government will encourage its Department of Agriculture, Horticulture, Forest, Panchayat & Rural Development, and other relevant departments to integrate and prioritize the utilization of Bio-Manure (FOM/LFOM) produced by CBG Plants in plantations, soil-health programs, and other public procurement systems to create assured institutional demand.

6.11.4 The State Government shall facilitate integration of Fermented Organic Manure (FOM) and Liquid Fermented Organic Manure (LFOM) generated from CBG plants into existing fertilizer distribution and agricultural input supply channels through cooperatives, agricultural agencies, and other institutional mechanisms.

6.11.5 The State Nodal Agency CBDA shall promote utilization of FOM/ LFOM generated from CBG plants in different agriculture, horticulture, forestry and other green initiatives taken up by different government departments in the State.

6.11.6 The State will encourage the establishment of digestate value addition facilities, including granulation units to convert FOM/LFOM into standardized, transportable and market ready organic fertilizer.

6.12 Supporting Infrastructure Development

6.12.1 Reimbursement of the expenditure on ETP (Effluent Treatment Plant) will be provided*.

6.12.2 Interest subsidy will be provided on loans taken for developing environmental protection infrastructure for water recycling/harvesting and zero discharge technology, based on a certificate issued by the Chhattisgarh Pollution Control Board**.***

6.12.3 The state will ensure availability of 33/11kV power connectivity from the nearest suitable sub-station subject to technical feasibility and availability of adequate load capacity for CBG plants. The cost of dedicated infrastructure, augmentation, or extension required for such connectivity will be borne by the CBG project developer in accordance with applicable regulations.

6.12.4 The state will ensure that provisions related to creation of **CBG evacuation related infrastructure are integrated within the City Gas Distribution (CGD) policy**. Such integration will include, inter alia, a time-bound and deemed approval mechanism, transparent and standardized framework for Right of Use (RoU), restoration charges and other applicable permission and charges to enable timely and cost-effective **evacuation of CBG through CGD networks.**

*refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, C-3: Clause (7) (8)

Pillar V: CBG Demand Creation and Transport Sector Integration

Objective-Create assured and scalable demand for domestically produced CBG through structured integration with the transport sector, fiscal incentives for CNG vehicle adoption, and streamlined regulatory approvals.

6.13 Procurement by Institutions

To create assured demand for domestically produced Compressed Biogas (CBG) Projects, the State shall undertake following measures for integration of CBG within the transport ecosystem:

6.13.1 The State shall extend necessary support, as may be notified separately, for conversion of eligible public transport buses or private vehicles or vehicles used by ULBs* to CNG, in accordance with applicable technical and safety standards.

6.13.2 Educational institutions and private transport operators in cities and towns shall be encouraged to transition to CNG based vehicles during the validity period of this policy.

6.14 Regulatory Facilitation for CNG Vehicle Ecosystem

To streamline regulatory processes and ensure time-bound approvals for adoption of CNG vehicles and conversion infrastructure, the State Transport Department shall implement the following facilitative measures:

6.14.1 Applications for approval of CNG vehicles and CNG kits certified by Automotive Research Association of India (ARAI) or International Centre for Automotive Technology (ICAT) shall be processed within specified timeline as per norms of concerned department, from the date of receipt of complete application. Validity certification and compliance verification shall be undertaken once every three (3) years in accordance with applicable safety norms.

6.14.2 Endorsement of CNG fuel conversion on the Registration Certificate (RC) shall be completed by the concerned RTO/DTO within specified timeline as per norms of concerned department, from the date of submission of complete documentation and inspection.

6.14.3 Approval for establishment of CNG Retro-fitment Centres (RFCs) shall be granted within specified timeline as per norms of concerned department, from the date of receipt of complete application, subject to compliance with applicable technical and safety standards.

*refer Urban Administration and Development Dept., Govt. of Chhattisgarh letter no. 6679/5408/2024/18 dt. 09.10.2024- Concession Agreement (CA) Clause no. 3.10 & 4.2

Pillar VI: Development of Ecosystem Enablers

Objective: Create a predictable, investment-friendly CBG ecosystem through tax and interest support, innovation and R&D incentives and a digital single-window approval mechanism with defined timelines and accountability.

6.15 Tax and Interest Support

The state government will extend the following support measures:

6.15.1 **Reimbursement of Net State Goods and Services Tax (Net SGST) to eligible MSMEs*** and **large enterprises**** up to certain limit as per provisions contained in Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30*/**.

6.15.2 Eligible MSME enterprises and large enterprises will be provided with an interest subsidy, on term loans obtained from financial institutions recognized by the Reserve Bank of India as per provisions contained in Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30*/**

6.16 Research, Development, and Innovation Support

To promote innovation, indigenization and technological advancement in the CBG sector, the State Government will extend the targeted support for Research and Development as follows:

6.16.1 The State Nodal Agency CBDA shall be the designated Research and Development (R&D) organisation for CBG sector*** to support technology improvement, operational efficiency, enhancement and ecosystem strengthening. CBDA to undertake targeted initiatives such as enhancement of digester efficiency, development and standardization of fermented organic manure (FOM) products, technology validation studies, alternate feedstock development and other operational efficiency/technology improvement initiatives.

6.16.2 New Enterprises in the State will be reimbursed against expenses incurred for obtaining ISO-9000, ISO-14000, ISO-18000, ISO-22000, BIS certification, ZED certification, Bureau of Energy Efficiency (BEE) certification, LEBP certification in the field of renewable energy, Agmark, Euro standards, or other similar national/international certifications.*

6.16.3 New enterprises in the State will be encouraged to obtain successfully registered and approved patents based on their original work/research. *

*refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh, Category (A-2) Annexure: 9.1,9.2; 9.9,9.10 **refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh,C-3: Clause (1) (1-A) ***;refer Urban Administration and Development Dept., Govt. of Chhattisgarh letter no. 6679/5408/2024/18 dt. 09.10.2024-Concession Agreement (CA) Clause no. 4.5

6.16.4 The State Nodal Agency CBDA* shall examine the feasibility of decentralized, plastic tank-based biogas generation systems at the household and community level in rural, semi-urban, and urban areas in consultation with the department of drinking water and sanitation (DDWS), the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) and other relevant stakeholders. The evaluation shall include technical viability, financial sustainability, scalability potential, safety standards, and integration with existing rural sanitation and waste management systems.

6.17 Institutional Capacity Building and Skill Development

To ensure availability of a skilled technical workforce and build long-term institutional capability for sustainable CBG sector growth, the State Government will establish a dedicated CBG Skill and Capacity Development Framework with provisions given below:

6.17.1 CBDA will develop standardised certification and training modules for plant operators, maintenance technicians, safety supervisors and quality control staff associated with CBG plant operations.

6.17.2 Structured Training programs will be implemented in collaboration with Industrial training institutes (ITIs), Polytechnics, Agricultural/Engineering & Technology/Veterinary and Integrated Universities, Chhattisgarh State Skill Development Authority (CSSDA), Oil & Gas Marketing Companies (OGMCs) and other accredited institutions. Technical capacity strengthening will be done through SOPs/Field trainings or Research and Innovation promotion through MoUs with State Universities/Technical Institutions/Oil and Gas Marketing Companies (OGMCs).**

6.17.3 New Enterprises will be eligible for the reimbursement of training expenses of employees who are domiciles of Chhattisgarh.***

*refer Dept. of Scientific and Industrial Research, Govt. of India, certificate of registration no. F.no. 11/805/2019-TU-V dt. 02.06.2025**refer MoU between CBDA and IIT Bhilai dt. 20.05.2019 on Academic and Research Cooperation; ***refer Industrial Development Policy 2024-30 Dept. of Commerce & Industries, Govt. of Chhattisgarh,
Chapter (C-3) clause (10)

6.18 Single Window Mechanism

To ensure coordinated implementation, reduce approval timelines, and enhance ease of doing business, the State of Chhattisgarh shall establish a Single Window Clearance Mechanism for processing all approvals, permissions, and clearances required for development and operation of Compressed Biogas (CBG) projects:

6.18.1 The Department of Commerce & Industries, Government of Chhattisgarh in co-ordination with the State Nodal Agency CBDA shall ensure integration and alignment with CBG project requirements in the existing single window portal, including incorporation of all relevant departments and approval processes, within a period of six (06) months from the date of notification of this Policy and shall be responsible for facilitating development, operation, and management of the Single Window Portal for CBG projects.

6.18.2 All project-related approvals, clearances, and No Objection Certificates (NOCs), including those related to land, environment, utilities, and statutory compliances, shall be processed through the Single Window Mechanism.

7. GOVERNANCE MECHANISM

7.1 State Nodal Agency

7.1.1 Under this Policy, the designated State Nodal Agency, Chhattisgarh Biofuel Development Authority (CBDA) will be the principal authority responsible for promotion, facilitation, and coordinated execution of Compressed Biogas (CBG) projects across Chhattisgarh.

7.1.2 The State Nodal Agency CBDA will, inter alia, perform the following functions:

7.1.2.1 Facilitate registration of investors and project developers under the Policy, provide guidance on applicable incentives, and assist in resolution of queries, grievances, and implementation-related issues.

7.1.2.2 Align planning of CBG projects and associated evacuation infrastructure with the PM Gati Shakti National Master Plan to optimize feedstock transportation routes, minimize logistics costs and enable co-location with gas distribution networks.

7.1.2.3 Obtain and compile district-wise data yearly on availability of agricultural residues, animal dung, municipal solid waste, agro-industrial residues, and other biomass, in co-ordination with the Agriculture Department, Animal Husbandry Department, Urban Development Department, and other relevant agencies.

7.1.2.4 Conduct or facilitate annual district and block / tehsil-level surveys to update assessments of biomass production capacity, competing uses, and techno-economic viability of different biomass streams, which shall be used as inputs for project registration, catchment allocation and capacity planning.

7.1.2.5 CBDA in association with CSIDC shall operate the single-window portal for submission, tracking, and time-bound processing of CBG-related approvals and applications.

7.1.2.6 Facilitate processing of Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO) and other applicable environmental clearances for notified CBG projects in accordance with CPCB industry classification norms as determined based on feedstock type, scale of operation, and wastewater discharge parameters.

7.1.2.7 Undertake periodic monitoring, reporting, and review of CBG sector performance at the high-powered State level SATAT Committee* (refer Clause No. 9.2) which will in turn recommend policy refinements, regulatory interventions, or corrective measures to ensure ecosystem scale up.

*refer Govt. order no. 1961/F-26/06/SATAT/2021/13/2 dt. 07.09.2021, Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh

7.2 District Level Committee (DLC)

A district level CBG monitoring committee (DLC)* will be constituted in each district under the chairmanship of the District Collector and will undertake the following functions:

7.2.1 Evaluate proposals and approve land allotment based on suitability and feasibility.

7.2.2 Establish co-ordination among farmers, feedstock aggregators and CBG project developers for creation and smooth functioning of feedstock supply chains within the district

7.2.3 Facilitate determination of appropriate and uniform district-level prices for feedstock based on mutual consultation with farmers, aggregators, and project developers, ensuring transparency and fairness.

7.2.4 Provide regulatory and administrative support to aggregators for transportation, storage, and movement of feedstock within the district

7.2.5 Coordinate with the Agriculture Department, Horticulture Department, Forest Department, Urban Local Bodies, Development Authorities, and other relevant agencies for marketing and distribution of organic manure and bio-manure produced by CBG plants.

7.2.6 Facilitate and coordinate regulatory approvals and clearances required at the district level, including but not limited to fire safety, land use permissions, conversion of agricultural to non-agricultural land, availability of government land, electricity and water supply, used water/ wastewater treatment, transmission infrastructure, and waiver or rationalization of development charges, as applicable.

7.2.7 Ensure compliance with approved command / catchment areas by aggregators and project developers to prevent conflict over feedstock supply and protect project viability.

7.2.8 Monitor and review timely payments to farmers / feedstock suppliers for feedstock supply and address grievances, if any.

7.2.9 Facilitate execution of contracts related to supply and utilization of organic manure and compressed biogas.

7.2.10 In cases where multiple aggregators operate within the same catchment area, recommend appropriate measures to the State level SATAT committee** through State Nodal Agency CBDA for rationalization, co-ordination or restriction of aggregator numbers to ensure orderly supply and fair competition.

7.3 Monitoring and Grievance Redressal

7.3.1 All CBG projects registered through Single Window Portal of the Dept. of Industries, Govt. of Chhattisgarh, shall submit periodic operational and performance data to the State Nodal Agency CBDA including feedstock utilization, gas production, digestate utilization, and operational status, in such format and frequency as may be prescribed by CBDA.

7.3.2 A two-tier grievance redressal mechanism will be established for resolution of issues related to approvals, land allotment, feedstock supply, utility connectivity, and other implementation matters:

a. District-Level Committee chaired by the District Collector,

b. State-Level SATAT Committee under the Chairmanship of the Secretary, Department of Energy, Govt. of Chhattisgarh.

8. PROCEDURE FOR REGISTRATION OF CBG PLANTS TO BE ESTABLISHED

8.1 **Applicability of Registration**

Developers who have already been issued a Letter of Intent (LoI) under the Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) initiative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India or any similar off-take guarantee arrangement and have further registered on central GOBARdhan (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) portal will be registered under the current policy.

8.2 **District-Based Capacity Regulation and Catchment Area Affiliation**

Based on assessed waste-to-biogas potential at the district level, registration of CBG projects shall be restricted such that not more than 80% of the estimated waste-based biogas generation capacity of a district is allocated to CBG projects. This is to ensure:

8.2.1 Availability of biomass for alternative uses;

8.2.2 Adequate supply for local community requirements; and

8.2.3 Long-term sustainability of feedstock supply.

8.2.4 Registration of projects shall be undertaken through Single Window Portal of the Dept. of Industries, Govt. of Chhattisgarh based on the recommendations of the State nodal Agency CBDA which shall assess project capacity, feedstock requirement and implementation readiness. Based on such assessment, the affiliated feedstock catchment area of a project may be increased or rationalized.

8.3 **Site Selection, Feedstock Catchment Area and Exclusivity**

The developer shall have the freedom to select the project site within the approved district. Based on project capacity and biomass requirement:

8.3.1 No additional CBG project shall be registered within the same block / tehsil of a particular district if it is likely to adversely affect feedstock availability or financial viability of the approved project.

8.3.2 The District Collector may, where justified by plant capacity and biomass availability, extend the catchment area to adjoining blocks / tehsils.

8.3.3 Biomass generated within a tehsil shall ordinarily be utilized within the same block / tehsil. For large-capacity projects, the District Collector may designate two or more blocks / tehsils as a combined catchment area.

8.4 Compliance with Central and State Guidelines

All developers shall comply with guidelines issued by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India, or any other Ministries of Government of India and relevant rules, notifications, and regulations issued by the State Government from time to time in relation to CBG projects.

9. MISCELLANEOUS PROVISIONS

9.1 All Compressed Biogas (CBG) units established under this Policy will comply with applicable environmental laws, rules, regulations, notifications and orders issued by the Government of India and the Chhattisgarh Government from time to time, including those relating to pollution control, waste management, safety, and statutory clearances.

9.2 A High-Powered State Level SATAT Committee will be constituted under the chairmanship of the Secretary Dept. of Energy, Government of Chhattisgarh shall have representations from following Departments for overall monitoring, periodic review, inter-departmental co-ordination, resolution of implementation-related issues, and effective execution of the Policy:

9.2.1 Department of Energy, Govt. of Chhattisgarh,

9.2.2 Department of Agriculture, Govt. of Chhattisgarh,

9.2.3 Panchayat & Rural Development Department,

9.2.4 Urban Administration Department,

9.2.5 Chhattisgarh State Industrial Development Corporation

9.2.6 Any other Govt. Department, as and when required.

….xx…..